



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2012/चैत्र 3, 1934

No. 490]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2012/CHAITRA 3, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 568(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), हरियाणा (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् प्राधिकरण, हरियाणा कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :--

1.	श्री आर.डी.श्योंकंद (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.) मकान नं० 628, सैक्टर-6, पंचकुला	अध्यक्ष
2.	श्री एस.के.खन्ना, सेवानिवृत्त ई.आई.सी. 3392 पी, सैक्टर-23, गुडगांव	सदस्य
3.	महानिदेशक, पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, हरियाणा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हैं।

4. केन्द्रीय सरकार, हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से प्राधिकरण, हरियाणा की सहायता करने के लिए राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा का गठन करती है (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., हरियाणा कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :--

1.	श्री इंद्रजीत जुनेजा (सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग) # 1066, सेक्टर-4, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव	अध्यक्ष
2.	श्री सुल्तान सिंह जटयान (सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक) # 714, सेक्टर-12, पंचकुला	सदस्य
3.	श्री राज सिंह राणा # 949, सेक्टर-17, फरीदाबाद, हरियाणा	सदस्य
4.	श्री जमीत सिंह, निवासी- म0नं0 905, सेक्टर-7/सी, फरीदाबाद	सदस्य
5.	श्री आजाद सिंह हुड्डा पुत्र श्री भीम सिंह, वोकस कोटेज, 47-ए, सुभाष नगर, रोहतक	सदस्य
6.	डा0 सुरिंदर सिंह यादव, फ्लैट नं0 ए-3, लॉर्ड शिव अपार्टमेंट, मीनाक्षी पब्लिक स्कूल के निकट, सेक्टर 10-ए, गुड़गांव	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य

5. प्राधिकरण, हरियाणा एस.ई.ए.सी., हरियाणा की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा।
6. एस.ई.ए.सी., हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
7. एस.ई.ए.सी., हरियाणा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित है।
8. एस.ई.ए.सी., हरियाणा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य का प्रयास करेगा और यदि मतैक्य नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।
9. हरियाणा राज्य सरकार प्राधिकरण और एस.ई.ए.सी., हरियाणा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारण सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
10. प्राधिकरण, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता हरियाणा राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/24/2007-आई.ए.-II(I)]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2012

S.O. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Haryana (hereinafter in this notification referred to as the Authority, Haryana) comprising of the following members, namely: -

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Shri R.D. Sheokand (IAS Retd.)
H. No. 628, Sector-6, Panchkula | Chairman |
| 2. | Shri S.K. Khanna EIC Retd.
3392 P, Sec.-23, Gurgaon. | Member |
| 3. | Director General,
Department of Environment
Government of Haryana | Member Secretary |

2. The Chairman and members of the Authority, Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Haryana shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Haryana in consultation with the State Government of Haryana, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, Haryana (hereinafter in this notification referred to as SEAC, Haryana) comprising of the following Members, namely :-

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Shri Inderjit Juneja, (Retd. Chief
Engineer, Irrigation Department)
1066, Sector -4, Urban Estate,
Gurgaon. | Chairman |
| 2. | Shri Sultan Singh Jatyan (Retd.
Additional Principal Chief | Member |

	Conservator of Forests) # 714, Sector-12, Panchkula	
3.	Shri Raj Singh Rana # 949, Sector-17, Faridabad, Haryana.	Member
4.	Shri Jamit Singh R/O H. No. 905, Sector-7/C, Faridabad.	Member
5.	Shri Azad Singh Hooda S/o Sh. Bhim Singh, Vokas Cottage, 47-A, Subhash Nagar, Rohtak	Member
6.	Dr. Surinder Singh Yadav Flat No. A-3, Lord Shiva Appartment, Near Meenakshi Public School, Sector 10-A, Gurgaon.	Member
7.	Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board	Secretary

5. The Authority, Haryana shall take decisions on the recommendations of the SEAC, Haryana.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Haryana shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Haryana shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The State Government of Haryana shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the SEAC, Haryana and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Haryana and the Chairman and Members of SEAC, Haryana shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Haryana.

[F.No. J-11013/24/2007-IA-II(I)]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.